कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक,वृत रानीवाडा, जिला जालोर

क्रमांक/सीओआर/2020/1964 दिनांक 18-12-20

प्रेषित,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला जालोर।

विषय– परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार में विरूद्व पुलिस कर्मियों के चाही गई जांच रिपोर्ट भेजने बाबत्।

प्रसंगः– श्रीमानजी के कार्यालय से प्राप्त सर्म्पक परिवाद कमांक 12203369047714 की पालना में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के सन्दर्भ मे निवेदन है कि परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार सर्म्पक परिवाद कमांक 12203369047714 में श्री साबिर मोहम्मद उनि पुलिस थानाधिकारी पुलिस थाना जसवन्तपुरा के द्वारा मोबाईल वार्ता के अनुसार सोशल मिडिया पर वायरल खबर जालोर पुलिस के प्यार का बजरीनामा महिला को प्रपोज करते हुए थाना प्रभारी कह रहा है कि दोस्ती करो तो दिन मे भी बजरी का टेक्टर घर भिजवा सकता हुं।वगैरा प्राथमिक जांच– इस कार्यालय में प्राप्त होने पर विधिवत जांच प्रारम्भ की गई।

दौराने जांच ओडियो वारयल हुआ जिसमे महिला व थानाधिकारी श्री साबिर मोहम्मद उनि दोनो वार्ता कर रहे है,दोनो ओडियो केसैट सुनकर फर्द विश्लेषण मुर्तिब की गई,जिसमे थानाधिकारी साबिर मोहम्मद व एक महिला के आपस मे वार्ता हुई है। जांच के दौरान महिला के बारे मे जानकारी प्राप्त की गई व उक्त महिला श्रीमति रोशन बानो पत्नी अमरू खा जाति मोयला मुसलमान निवासी जसवन्तपुरा होना ज्ञात होने पर उक्त महिला के पति अमरू खॉ की मोजुदगी मे जांच की जाकर ब्यान श्रीमति रोशन बानो,उसके पति अमरू खॉ के लेखबद के किये गये। एव श्रीमति रोशन बानो द्वारा सोशल मिडिया पर वायरल हुई ओडियो के सम्बंध मे एक लिखित रिपोट पेश की जिसमे अमरू खा व रोशन बानो ने उक्त सम्बंध मे कोई कार्यवाही नही करवाना चाहते है रिपोर्ट शामिल जांच पत्रावली की गई,आरोपित अधिकारी द्वारा सोशल मिडिया पर वायरल ओडियो के सम्बंध मे अपना स्पष्टीकरण लिखित मे पेश किया जो शामिल जांच किया गया। सोशल मिडिया पर वायरल ओडियो व श्रीमति रोशन बानो के ब्यानो की विडियो सीडी शामिल जांच की गई। दिनांक 10.11.2020 को स्थानीय अखबार जालोर दैनिक भास्कर मे छपी खबर की फोटो प्रति शामिल जांच की गई ।

सम्पुर्ण जांच से पाया गया कि आरोपित अधिकारी श्री साबिर मोहम्मद उनि पुलिस थानाधिकारी द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 7568769010 से श्रीमति रोशन बानो के मोबाईल नम्बर 8529527206 से वार्ता की गई है आरोप निम्न प्रकार है

01. यह है कि श्री साबिर मोहम्मद उप निरीक्षक थानाधिकारी जसवंतपुरा ने वर्ष 2019 से दिनांक 09.11.2020 तक थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित रहे,इस दौरान श्री साबिर मोहम्मद व रोशन बानो को पांच मिनट के लिए अपने घर आने का कह रहा है व महिला द्वारा बजरी आने की बात कह कर दोपहर मे डाल दी,दिन मे क्यो डाली शाम को डालनी थी तब थानाधिकारी द्वारा महिला को कहा कि देख ले तेरे लिए वो दिन को भी बजरी डाल सकते है,जिस पर महिला ने पुन थानाधिकारी को कहे रही हैकि वो आदेश आया है दिन मे बजरी नही डाल सकते,थानाधिकारी कह रहा है कि मै तेरे लिए दिन मे भी डलवा सकता हुँ। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवलेहना कर बंजरी महिला के घर पर डलवाई गई है जो साबिर मोहम्मद तत्कालीन थानाधिकारी जसवंतपुरा द्वारा आदेशों की अवहेलना कर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरती गई है, जो आरोप प्रमाणित है।

02. यह है कि श्री साबिर मोहम्मद तत्कालीन थानाधिकारी ने अपने ऑडियों मे महिला को कह रहा है कि दोस्ती मन से है या यु उपर से कर रही हो,दोस्ती रखनी पडेगी जिस पर महिला द्वारा हा कहा गया, एवं करीबन पांच मिनट तक थानाधिकारी व महिला के बंजरी सम्बधिंत व दोस्ती सम्बधिंत बातें हुई, उक्त ऑडियों वायरल हुआ जो हर किसी व्यक्ति के मोबाईल पर गया एवं सोशलमिडिया पर वायरल हुआ व जालोर भास्कर दिनांक 10.11.2020 के समाचार पत्र में छपी खबर कि जसवंतपुरा थानेदार का युवती को दोस्ती का प्रतास्व कहा– दिन में भी बजरी का ट्रेक्टर भिजवा सकता हूँ उक्त खबर अखबार में छपने से पूरे राजस्थान में राजस्थान पुलिस की छवी धुमिल हुई है उक्त कृत्य श्री साबिर मोहम्मद तत्कालीन थानाधिकारी जसवंतपुरा का लापरवाही का धोतक है।

रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

भवदीय

(रतनलाल आर.पी.एस.)
पुलिस उप अधीक्षक
वृत रानीवाडा
जिला जालोर (राज.)

Scanned with CamScanner